UPUN010015922026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।
जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–679 / 2026

संतोष कुमार पुत्र सर्वेश लोध निवासी ग्राम बसनोहा, थाना पुरवा, जिला उन्नाव।
———————— अभियुक्त।

प्रति
राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उन्नाव।

——————विपक्षी।

19.03.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त संतोष कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–52 / 2026 धारा–3 / 25 आर्म्स एक्ट, थाना पुरवा, जिला उन्नाव में प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी उ0नि0 रामेश्वर सिंह मय हमरारी पुलिस कर्मचारीगण के दिनांक 28.02.2026 को देखभाल चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन ग्राम भदनांग के पास मौजूद थे, मुखबिर खास की सूचना पर बिल्लेश्वर मंदिर की तरफ बहद ग्राम गोपाल खेड़ा मार्ग थाना पुरवा, जिला उन्नाव के अन्तर्गत अभियुक्त संतोष पुत्र सर्वेश को समय 17.35 बजे पकड़ लिया, जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा 12बोर व एक कारतूस 12बोर बरामद हुआ जिसको रखने का उसके पास काई वैध प्रपत्र नही था। कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत मे लिया गया। बरामद माल मौके पर सील सर्वमुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह तर्क लिया गया कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नही किया। उसके कब्जे से कोई बरामदगी नही हुयी, कथित बरामदगी झूठी है। वह दिनांक 01.03.2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है। यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके पूर्व कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न दिया गया है, और न ही खारिज हुआ है, न ही विचाराधीन है। उक्त आधार पर जमानत प्रदान करने की कृपा करें।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

अभियोजन का तर्क है कि अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 12बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ, जिसको रखने का उनके पास कोई अधिकारपत्र नही था।

अभियुक्त का तर्क है वह निर्दोष है, उसे झूठा फसाया गया है। उसने कोई आपराध कारित नही किया। केस डायरी के अवलोकन से विदित है कि दिनांक 28.02.2026 समय 17.35 बजे स्थान बिल्लेश्वर मंदिर व गोपाल खेड़ा गांव के मार्ग पर अभियुक्त को गिरफ्तार

किया गया, उसके कब्जे एक अदद तमंचा 12बोर व एक अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर बरामद हुआ था। कथित बरामदगी व गिरफ्तारी का कोई चक्षुदर्शी व स्वतंत्र जनसाक्षी नही है। संबंधित थाने द्वारा प्रस्तुत आपराधिक इतिहास में अभियुक्त की दोषसिद्धि दर्शित नही की गयी है तथा आपराधिक इतिहास में उल्लिखित अ0सं0 980/2025 थाना पुरवा, उन्नाव धारा–109(1),309(4) 317(2)बी0एन0एस0 में न्यायालय द्वारा दिनांक 27.11.2025 को अभियुक्त को जमानत प्रदान की जा चुकी है। अभियुक्त दिनांक 01.03.2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है।

अतः मामले के उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर टीका–टिप्पणी किये बगैर अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पाया जाता है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त संतोष कुमार द्वारा अपराध संख्या–52/2026, अर्न्तगत धारा–3/25 आर्म्स एक्ट, थाना पुरवा, जिला उन्नाव के मामले मे प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–679/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0–25,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक–19.03.2026
राकेश/–

(महेन्द्र कुमार सिंह)
आई0डी0नं0–यू0पी0–1776
कृते सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।